कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा।

(eefcdbagaha@gmail.com)

पत्रांक........../ बगहा, दिनांक____________/

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना – 01/2026–27

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा के निरीक्षण वाहन हेतु 01 (एक) अदद् वाहन स्कॉर्पियो चालक सहित माह– अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के लिए वाहन इच्छुक मालिकों/ट्रेवल एजेंसियों से मुहर बन्द लिफाफा में वर्णित गाड़ी का भाड़े का दर कोटेशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित किया जाता है:–

01.	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	ई० नेमी शरण, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा।
02.	कोटेशन प्राप्त करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा का कार्यालय
03.	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	13.03.2026
04.	कोटेशन जमा करने की तिथि	25.03.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक
05.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	28.03.2026 के अपराह्न 03:00 बजे

नियम एवं शर्तें:–

1. कोटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने एवं बिना कारण बताये रद्द् करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. गाड़ी के साथ अनुज्ञप्तिधारी चालक वाहन मालिक को उपलब्ध कराना होगा।
3. चालक का वेतन, वाहन का रख–रखाव वाहन मालिक को करना होगा ताकि वाहन तकनीकी गड़बड़ी से हमेशा मुक्त रहे। वाहन न्यूनतम 10 कि०मी० प्रति लिटर या अधिक ही मान्य होगा।
4. जिला प्रशासन, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के द्वारा स्कॉर्पियो के निर्धारित दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
5. कोटेशन के साथ व्यावसायिक वाहन का रजिस्ट्रेशन बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, GST आदि उपलब्ध कराना होगा।
6. कोटेशन स्वीकार होने पर वाहन मालिक को रुपये 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षतिग्रस्त होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म आपूर्तिकर्त्ता का होगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें।
9. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म आपूत्तिकर्त्ता का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगें। साथ ही नियमित चालक की अनुपस्थिति में दूसरे वैकल्पिक चालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी वाहन मालिक/फर्म आपूत्तिकर्त्ता का ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
10. शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
11. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा।

कोटेशन दाताओं को कोटेशन बंद लिफाफा में वाहन से संबंधित सभी अद्यतन कागजातों (उपरोक्त कंडिका 05 में वर्णित) के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विभाग में आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। वाहन अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक अधिगृहित किया जायेगा। अधिगृहित वाहन की एकरारित अवधि विभागीय निदेश के अनुरुप बढ़ाया–घटाया जा सकता है।

ह०/–

(ई० नेमी शरण)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बगहा।

पत्रांक 602/ बगहा, दिनांक 13.03.2026/

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 01/2026–27 की हिन्दी में एक प्रति (PDF एवं सॉफ्ट प्रतियों में) के साथ सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं दो दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०– Soft Copy(PDF and MS Word)

13/03/2026

(ई० नेमी शरण)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बगहा।

Sikandar
13.03.26